न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 76/2016 अपील

श्रीमती राधा पत्नी राजेन्द्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये
निवासी टिकड़ तहसील जहाजपुर तहसीलदार, जहाजपुर
जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले
प्रकरण सं0 328/2016 निर्णय दिनांक 4.10.2016

उपस्थित –
श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.01.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 328/2016 निर्णय दिनांक 4.10.2016 के खिलाफ दिनांक 05.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का टीकड़ तहसील जहाजपुर ने अपीलार्थी द्वारा ग्राम टीकड़ के आराजी नम्बर 1062/2 रकबा 8.00 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण के मामले में अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व मामला दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 4.10.2016 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को 15 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 8.00 का 50 गुणा 400/–रू. अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिये गये निर्णय / दण्ड आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थी ने जरिये सम्मन से तलब होकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कब्जा छोड़ देने का कथन

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

किया उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है । अपीलार्थी गरीब महिला होकर भूमिहीन महिला है व उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है । अपीलार्थी द्वारा शास्ति भी नियमानुसार जमा करा दी गयी है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थी के अनपढ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो पायी है। अपीलार्थी के घर पर पुलिस आने पर पारित आदेश की जानकारी हुई जिस पर दिनांक 15.11.2016 को अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हुई और वक्त जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है । अतः अपील प्रस्तुत करने में दिनांक 04.10.2016 से 5.12.2016 तक हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है । इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है । अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 09.12.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को सुना जाकर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिये जाने का कथन अधीनस्थ न्यायालय में किया हैं और अपीलार्थी द्वारा शास्ति भी नियमानुसार जमा करा दी गयी है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित कार्यवाही समाप्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील के समर्थन में विधिक दृष्टान्त 2006–07

आर आर टी 289 रामकुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान , आर आर टी 2003(2) रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किये ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्रीमती राधा पत्नी राजेन्द्र मीणा निवासी टीकड़ के द्वारा ग्राम टीकड़ के आराजी नं. 1062/2 रकबा 247.10 बीघा भूमि किस्म चरनोट में से 8.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रकरण सं. 328/2016 दर्ज कर धारा 91 नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर श्रीमती राधा पत्नी राजेन्द्र मीणा द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 15 दिवस के सिविल कारावास एवं शास्ति 400/-रू. से दिनांक 04.10. 2016 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वर्तमान में उक्त आराजी नं. 1062/2 रकबा 8.00 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म चरनोट दर्ज रिकार्ड है । अतिक्रमी का उक्त अतिचार पश्चातवर्ती होकर विगत वर्ष भी अतिक्रमी ने उक्त भूमि पर अतिचार किया। जिसकी मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली नामा प्रस्तुत कर भौतिक रूप से बेदखल किया परन्तु अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया । उक्त आराजी किस्म चरनोट भूमि है । अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1062 /2 रकबा 8.00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50

गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटा लिये जाने संबंधी कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया एवं न ही किसी प्रकार की अण्डर टेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है । जिससे विधिक दृष्टान्त 2006-07 आर आर टी 289 रामकुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान , आर आर टी 2003(2) रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं, वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव-

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 328 /2016 निर्णय दिनांक 04.10.2016 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.10.2016 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/01/17
(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)